अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

सेवा अपील वाद संख्या 89 / 2013

कमलेश्वरी यादव —— अपीलार्थी

वनाम

राज्य —— रेस्पाण्डेन्ट्स / विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश ज्ञापांक 867–2 दिनांकः 03.10.2012 ई० के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

उभय पक्षों को बहस के दौरान सुना। अभिलेख का अवलोकन किया ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में कथन करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका केन्द्र संख्या 124 भैया राम चकला में आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु कुल 6 आवेदन प्राप्त हुआ था। आम सभा में चयन समिति द्वारा मेघा सूची तैयार किया गया है। मेघा सूची पर चयन समिति के सात सदस्यों का हस्ताक्षर भी अंकित है, जैसा कि अपीलार्थी के स्पष्टीकरण में कथन दर्ज है, जबकि नूतन कुमारी का कथन है कि मैं अंतरस्नातक उत्तीर्ण हूँ जिसका प्रमाण पत्र भी समर्पित की हूँ ,लेकिन अपीलार्थी के द्वारा साजिश कर मैट्रीक के आधार पर मेघा सूची का प्रकाशन किया गया। लिहाजा इसके अपीलार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी पिपरा थाना कांड संख्या 84 / 2008 दायर किया गया है जिसके आलोक में संचालन पदाधिकारी का मंतब्य दिया गया है कि चूँकि थाना प्रभारी के प्रतिवेदनानुसार अनुसंधान का कार्य चल रहा है। अतएवं पूरक अनुसंधान पर मंतव्य अंकित करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता दूसरे आरोप के सन्दर्भ में कथन करते है कि केन्द्र संख्या 124 भैया राम चकला अनु0 जाति बहुल्य है जबकि अभ्यर्थी नूतन कुमारी कलवार जाति के हैं जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं इसलिए इनकी चयन संभव नहीं है जबकि अभ्यर्थी नूतन कुमारी द्वारा कथन किया गया है कि चयन हेतु आम सभा विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया जिसके पश्चात इस बीच में अपीलार्थी नूतन कुमारी से 25000.00 रूपये की मांग वास्ते चयन हेतु किया गया परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त रकम नहीं दिए

जाने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं की गयी। उक्त आशय के सन्दर्भ में संचालन पदाधिकारी का मंतब्य है कि दिनांक 16.02.08 को केन्द्र संख्या 124 पर आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु आम सभा की गयी किन्तु विवाद के कारण आम सभा स्थगित कर दिया गया। आम सभा स्थगित होने के पश्चात भी आरोपी (अपीलार्थी) ने बिना आम सभा के अनुमोदन प्राप्त किए हुए चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया जो आरोपी (अपीलार्थी) के द्वारा नियम के विरूद्ध कार्य किया गया है इस प्रकार से आरोप अपीलार्थी के विरूद्ध इस रूप में प्रमाणित होता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता बहस के क्रम में आरोप संख्या 3 के सन्दर्भ में कथन करते है कि केन्द्र संख्या 124 पर ललिता देवी को सहायिका पद पर अपीलार्थी द्वारा नियुक्त की गयी जो वर्ष 2007 से कार्यरत है तथा इसी अवधि में मध्यमा की परीक्षा में सम्मिलित होकर मध्यमा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुयी हैं, जो नियम के विरूद्ध कार्य किया गया है, जो सरासर गलत है। ललिता देवी के द्वारा गलत सूचना एवं फर्जी प्रमाण पत्र के आधार उसका चयन एवं नियुक्ति कर दी गयी इससे स्पष्ट है कि सरकारी राशि के दुरूपयोग में अपीलार्थी की संलिप्तता रही है। दूसरी ओर अपीलार्थी अपने स्पष्टीकरण में एवं विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से मौखिक बहस में कथन करते हैं कि केन्द्र संख्या 124 पर सेविका/ सहायिका का चयन वर्ष 2003 में तत्कालीन मुखिया श्री चन्द्रशेखर प्रसाद एवं तत्कालीन पंचायत सचिव श्री बिनोद नारायण पाठक के समय चयन समिति के द्वारा किया गया था उस समय उनका पदस्थापन प्रखंड कार्यालय छातापुर में था। जून 2005 में उनका स्थानान्तरण प्रखंड कार्यालय पिपरा हुआ था। ललिता देवी द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित मुखिया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पिपरा से आवेदन देकर छुट्टी स्वीकृति के उपरांत गयी थी। इसमें पंचायत सचिव का कोई भूमिका नहीं रहता है। इस सन्दर्भ में संचालन पदाधिकारी का मंतब्य है कि सहायिका ललिता देवी के अवकाश आवेदन पत्र पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा मात्र हस्ताक्षर अंकित किया गया है। अवकाश आवेदन पत्र को स्वीकृत नहीं किया गया है इस प्रकार ललिता देवी के द्वारा बिना स्वीकृति प्राप्त किये एवं सहायिका के पद पर रहते हुए मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हुयी जो नियम के विरूद्ध है। दिनांक 16.02.08 को सेविका चयन हेतु आयोजित ग्राम सभा की बैठक को विवाद के कारण स्थगित कर दिया गया । आम सभा स्थगित किये जाने के बाद भी अपीलार्थी के द्वारा सेविका के पद पर पूर्व से कार्यरत सहायिका ललिता देवी का चयन किया गया जो नियमानुकूल किया गया प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार यह आरोप इस रूप में प्रमाणित होता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध गठित आरोप पर विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में उपरोक्त सभी आरोप प्रमाणित पाया गया है।

अपीलार्थी के विरूद्ध गठित आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाए जाने के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र की छाया प्रति के साथ में अपीलार्थी को द्वितीय कारणपृच्छा साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 21.08.12 का समय दिया गया जिसके आलोक में आरोपी (अपीलार्थी) द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा प्रस्तुत किया गया है।

विभागीय कार्यवाही के अभिलेख, संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी द्वारा निम्नन्यायालय में समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के समीक्षोपरान्त अपीलार्थी के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित किये गये हैं –

1. श्री कमलेश्वरी यादव, पंचायत सचिव, प्रखंड मरोना (अपीलार्थी) को निन्दन की सजा अधिरोपित की जाती है।

2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना श्री यादव (अपीलार्थी) के सेवापुस्त मे उपरोक्त दंड दर्ज करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा निदेशित किया गया एवं

इसकी सूचना सभी संबंधित को दी जाय।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकनोपरांत पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा अपीलार्थी का अपने बचाव हेतु अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इसमें नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त का पूर्णतः अनुपालन किया गया है तथा निम्नन्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल सहरसा